न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

राजस्व वाद सं0 : 439 / 2019
16/2/19

1— इन्द्रजीत पुत्र स्व. श्री बनेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:———वादी

बनाम

1— जयपाल
2— सतपाल
3— तेजपाल पुत्रान स्व. जगमाल
4— पवन
5— विक्रम पुत्रान स्व. करतार
6— राजेश
7— राजू
8— धर्मवीर पुत्रान स्व. मांगेलाल जातियान गुवारिया निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:———प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम—1955

महोदय,

बयान दावा वादी की ओर से निम्न पेश हैं :——

1— यह है कि आराजी खसरा नं0 83 / 442 रकबा 0.5100 हैक्टेयर आराजी वाके ग्राम बालियाबास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। वास्ते मुलाहिजा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2072 लगायत 2075 संलग्न वाद पत्र है।

2— यह है कि उक्त आराजी में मिन वादी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा निहित है, जो आराजी मिन वादी को अपने पिता श्री बनेसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर मिन वादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसका की वादी के नाम का अंकन हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हो रहा है।

कार्यालय
(1) कोर्ट फीस [illegible] है
(2) [illegible] संलग्न है
(3) वाद [illegible] का अवलोकन है,
[illegible] पेश है

[illegible]
14/12/19

S.D.O. [illegible]

Register & [illegible]
[illegible]
14/12/19

15/1/20 पत्रावली पेश हुई/पत्रावली पीठासीन उप०/P.O. साहब दौरे पर पधारे है। दिनांक 29/2/20 को पेश हो।
रीडर

29/2/20 पत्रावली पेश हुई/पत्रावली पीठासीन उप०/P.O. साहब दौरे पर पधारे है। दिनांक 15/4/20 को पेश हो।
रीडर

2/12/21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट में पंचायत मुख्यालय ग्रा.प. [illegible] पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कोर्ट कैम्प में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही हेतु [illegible] 7/2/22 को मूल न्यायालय में पेश हो। [illegible]

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

07/02/22 पत्रावली पेश पत्रावली नियत 21/04/22 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

21/04/22 आज पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। बार-2 आवाज लगाने पर, वादी व वादी अनुपस्थित अतः पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय तकमील नंबर से नष्ट होकर दाखिल दफ्तर हो।
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०